रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/93

REGISTERED NO. DL—33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1993 (अग्रहायण 20, 1915)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1993 (AGRAHAYANA 20, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	841
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1251
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	2103
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1109
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1007
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	16359
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	171
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	

*कोई अंक प्रकाशित नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	841
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	1251
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2103
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1199
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1007
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	16359
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	671
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 नवम्बर 1993

सं० 27/10/93—सी एल०—2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एस० एस० लथरा, कम्पनी एकाऊंटेंट को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर० एन० वासवानी
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 07 दिसम्बर 1993

संकल्प

सं० एफ० 11-1/91-डेस्क एन० एम०—भारत सरकार ने बिहार सरकार के परामर्श से नव नालंदा महाविहार, नालंदा सोसाइटी का प्रशासनिक दायित्व संभालने के प्रश्न पर विचार किया है, ताकि इसके सर्वांगीण विकास को सुकर बनाया जा सके और इसे देश में संस्थान आंदोलन में अधिक प्रभावशाली ढंग से योगदान देने के योग्य बनाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए "नवनालंदा महाविहार नालंदा सोसायटी" नामक एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। सोसायटी का वर्तमान गठन इस प्रकार है :—

(i)	बिहार के राज्यपाल	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
(iii)	सचिव (बिहार में कालेज–शिक्षा के प्रभारी), बिहार सरकार	सदस्य
(iv)	उस विश्वविद्यालय के कुलपति, जिससे महाविहार सबद्ध है	सदस्य
(v)	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विख्यात बौद्ध विद्वान	सदस्य
(vii)	वित्त सलाहकार, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(viii)	संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
(ix)	निदेशक, नव नालंदा, महाविहार	सदस्य–सचिव

2. सोसायटी, नव नालंदा महाविहार नालंदा सोसायटी के संघ ज्ञापन और इसके नियमों एवं विनियमों (संलग्नक–क और ख) के अनुसार कार्य करेगी। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. बिहार सरकार से नव नालंदा महाविहार, नालंदा, जिसे इसके पश्चात् "सोसायटी" कहा जाएगा, का प्रशासन एवं प्रबंध इसकी सभी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के साथ ग्रहण करना।

(क) सोसायटी के कार्य इस प्रकार होंगे :—

पाली भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा और शोध तथा संस्कृत, तिब्बती, चीनी, मंगोलियाई, जापानी और अन्य एशियाई भाषाओं के माध्यम से बौद्ध अध्ययन की उन्नति के लिए प्राचीन विहारों (जहां अध्ययन और उच्च शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित शिक्षक व छात्र इकट्ठे रहते थे) के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा के एक आवासीय केन्द्र का विकास करना। इसके अलावा विश्व के विभिन्न भागों में समकालीन बौद्ध धर्म को भी शिक्षा एवं शोध का विषय बनाया जाए।

(ख) निम्नलिखित विषयों में विभागों की स्थापना करना व उनका अनुरक्षण करना :

(1) पाली और बौद्ध शिक्षा (2) भारतीय दर्शन और तुलनात्मक धर्म की रूपरेखा सहित बौद्ध दर्शन (दोनों हीनयान और महायाण) तर्क शास्त्र और ज्ञान मीमांसा के विशेष संदर्भ में दर्शनशास्त्र, (3) बौद्ध इतिहास और संस्कृति तथा बौद्ध धर्म के प्रचार–प्रसार के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय और एशियाई अध्ययन, (4) भाषा विज्ञान और आधुनिक भाषाएं, तथा (5) मंगोलियाई, कोरियाई और चीनी भाषाओं सहित तिब्बती और चीनी शिक्षण विभाग तथा (6) ऐसे विषय जिन्हें "सोसायटी" समय–समय पर आरंभ करने का निर्णय करे।

(ग) उपर्युक्त विषयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना,

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के स्नातकों और प्राच्य विद्वानों को प्रवेश देना तथा उन्हें पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं पर आधारित बौद्ध अध्ययन और शोध कार्य में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना एवं उन्हें प्राचीन शिक्षा की गूढ़ता और गहराई से परिचित कराना,

(ङ) परम्परागत मठ–विषयक शिक्षा में प्रवीण मठवासियों तथा साधारण अध्येताओं को शामिल करना और शोध तथा तुलनात्मक अध्ययन की आधुनिक विधियों से परिचित कराना,

(च) इसके अध्येताओं और प्रोफेसरों को विश्व के विशेष रूप से पड़ोसी बौद्ध देशों के बौद्ध शिक्षा के मान्यता प्राप्त केन्द्रों में भेजना ताकि वे उनकी परम्पराओं की मूल जानकारी प्राप्त कर सकें तथा भारत और उन देशों के बीच विद्यमान पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर सकें ;

(छ) विश्व के विभिन्न भागों के सुविख्यात बौद्ध अध्येताओं को अपने विशेष विषयों पर व्याख्यान देने के लिए सोसायटी को अतिथि प्रोफेसरों के रूप में यदा-कदा दौरों पर आमंत्रित करना ;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत परीक्षाएं आयोजित करना और शैक्षिक पुरस्कार प्रदान करना तथा व्यक्तियों को विशिष्ट पदक एवं उपाधियां प्रदान करना, मानद पुरस्कार एवं अन्य विशिष्ट पदक प्रदान करना और ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं के लिए कुशलता के मानदण्ड निर्धारित करना ;

(झ) नियमों व उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार एवं पदक प्रदान करना ;

(ञ) मानद डिग्रियां, पुरस्कार और अन्य विशिष्ट पदक प्रदान करना;

(ट) पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, मंगोलियाई और अन्य भाषाओं की बौद्ध कृतियों का संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन करना;

(ठ) बौद्ध एवं संबद्ध शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मूल एवं शोध कृतियों को संकलित एवं प्रकाशित करना ;

(ड) शोध संस्थाओं के साथ शोध-कार्य समन्वित करने के लिए भारत और भारत के बाहर ऐसी ही अन्य शोध संस्थाओं के साथ सहयोग करना ;

(ढ) पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य का अद्यतन पुस्तकालय गठित करना, जिसमें मुद्रित एवं पांडुलिपियों के रूप में ऐसी सामग्री हो, जिनमें शोध कार्यों के पूर्ण एवं अभिनव प्रकाशन तथा आधुनिक चिंतन संबंधी प्रकाशन शामिल हों ताकि व्यापक एवं तुलनात्मक अध्ययन को सुकर बनाया जा सके ;

(ण) शोध एवं संदर्भ कक्ष तथा संग्रहालय स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना ;

(त) सोसायटी के उद्देश्यों से आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह मिलते हुए उद्देश्यों वाली विश्व की शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों, अध्येताओं के आदान-प्रदान द्वारा सहयोग करना तथा सामान्यतया इस प्रकार से करना जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रेरक हों ;

(थ) बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करना और

(द) सोसायटी के प्रकाशनों का एवं प्रकाशन एवं बिक्री विभाग स्थापित करना तथा उसका रख-रखाव करना ;

(ध) ऐसी किसी भी संस्था या सोसाइटी को अंशदान देना या उनका सदस्य बनना अथवा उनके साथ सहयोग करना, जिसके उद्देश्य आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से सोसायटी के उद्देश्यों के समान हो अथवा जिनकी प्रोन्नति सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों ;

(न) ऐसी अन्य संस्थाओं, संगठनों, निकायों या सोसायटी के साथ इसका समेकन करना जिसके उद्देश्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सोसाइटी के उद्देश्यों के समान हों ।

2 (ii) (क) छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए ऐसे शुल्क और प्रकार नियत करना और उनका मांग करना जो सोसायटी के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए उप नियमों में निर्धारित हों ;

(ख) छात्रों के आवास के लिए हॉलों और आवासगृहों की स्थापना करना, उनका रख-रखाव तथा प्रबंध करना ।

(ग) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, अनुशासन को विनियमित करना और छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा सांस्कृतिक एवं सामूहिक जीवन को उन्नत करने की व्यवस्था करना ;

2 (iii) (क) समयोचित शर्तों पर किसी भी प्रकार के धन, प्रतिभूतियों अथवा संपत्ति के अनुदान को प्राप्त अथवा स्वीकार करना ,

(ख) किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति को उपहारस्वरूप क्रय द्वारा, विनिमय द्वारा, पट्टे पर किराए पर अथवा अन्यथा प्राप्त करना और ऐसी इमारतों का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, विस्तार तथा मरम्मत संबंधी कार्य करना, जो सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है,

(ग) प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर सोसायटी की चल अथवा और अचल संपत्ति का पूरा अथवा उसका कोई भी भाग बेचना, पट्टे पर देना, आदान-प्रदान करना, किराए पर लेना, स्थानांतरित करना अथवा अन्यथा निपटान करना बशर्ते अचल संपत्ति के स्थानांतरण अथवा निपटान के लिए राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो,

(घ) सोसायटी के किसी भी ऐसे धन और प्रतिभूतियों को जिनकी सोसायटी के किसी कार्यकलाप के लिए तत्काल आवश्यकता न हो इस प्रकार से निवेशित करना और उनका लेन देन करना जैसा कि समय-समय पर यथा निर्धारित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों में प्रावधान हो,]

(ङ) चैक,नोट अथवा अन्य परक्राम्य लिखित तथा सरकारी ड्राफ्ट निकालना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा पट्टे पर देना ।

(च) सोसायटी के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए धन के वास्ते अपील जारी करना तथा किसी भी ऐसी अक्षय निधियों, न्यासों, निधियों अथवा दान की व्यवस्था करना, जो सोसायटी के उद्देश्यों से असंगत न हो,

(छ) सोसायटी की किसी परिसंपत्ति के मूल्यह्रास अथवा मरम्मत, उसके सुधार, विस्तार अथवा अनुरक्षण या सोसायटी के अधिकार के लिए और या क्षयकारी परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए आरक्षण कोष, बीमा कोष अथवा अन्य किसी विशेष कोष का सृजन करना, परन्तु ऐसे कोष या निधियां सृजित करना या उनको बनाए रखना जो उचित या समयोचित हों,

(ज) राज्य सरकार से बिहार सरकार द्वारा अगस्त, 1951 में स्थापित नव नालन्दा महाविहार, नालंदा की परिसंपत्तियां और देयताएं अपने नियंत्रण में लेना

(झ) सोसायटी की सभी या किसी चल या अचल संपत्ति प्रतिभूति पर या प्रतिभूति को गिरवी न रखकर, शुल्क लेकर या भाराक्रांति या वचन देकर या अन्य किसी भी ढंग से धन उधार लेना अथवा ऋण जुटाना बशर्ते कि इस संबंध में राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।

(ञ) सोसायटी के प्रयोजनार्थ अनुदान, अंशदान, दान प्राप्त करना,

(ट) नव नालंदा महाविहार नामक कोष बनाना, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(i) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई समस्त अवराशि

(ii) सोसायटी द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क तथा अन्य प्रभार

(iii) सोसायटी द्वारा अनुदान स्वरूप, उपहारस्वरूप, दान-स्वरूप, उपकार स्वरूप, उत्तरदानस्वरूप अथवा स्थानांतरण स्वरूप प्राप्त किया गया समस्त धन, तथा

(iv) सोसायटी द्वारा अन्य किसी स्रोत से अन्य किसी प्रकार प्राप्त किया गया धन ।

(ख) कोष में डाले गए समस्त धन को इस प्रकार जमा कराना जैसा कि सोसायटी के प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए और जैसा नियमों के अन्तर्गत प्रावधान हो,

(2)(IV)(क) सोसायटी के कार्य संचालन के लिए नियम और विनियम तथा उपनियम बनाना तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उन्हें समय समय पर संशोधित करना, बदलना अथवा रद्द करना,

(ख) ऐसी समिति अथवा समितियां गठित करना, जिन्हें सोसायटी उचित समझे,

(ग) सोसायटी द्वारा अपनी समस्त अथवा कोई भी शक्ति, अपनी किसी भी गठित समिति या किसी भी सदस्य को सौंपा जाना,

(घ) सोसायटी के लिए और उसकी ओर से कोई भी अनुबंध करना,

(ङ) सोसायटी की ओर से सभी कानूनी कार्रवाइयों पर वाद और प्रतिवाद चलाना,

(च) सोसायटी के किसी भी दस्तावेज को तैयार करने अथवा कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का अटार्नी नियुक्त करना और उसे सोसायटी द्वारा उचित समझी जाने वाली शक्तियां प्रदान करना,

(छ) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी द्वारा आवश्यक, प्रासंगिक अथवा सहायक समझे जाने वाली सभी कार्यों और/अथवा मामलों को अकेले अथवा अन्य संगठनों या व्यक्तियों के सहयोग से निपटाना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कोमल आनन्द
संयुक्त सचिव,

अनुबंध "क"

नव नालंदा महाविहार, नालंदा के संगम

ज्ञापन एवं नियमों का प्रारूप

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण के अधिनियम 1860 के XXI के मामले में

और

नव नालंदा महाविहार, नालंदा, सोसायटी जिसे इसके बाद "सोसायटी" कहा जाएगा के मामले में

संगम ज्ञापन

1. (i) सोसायटी का नाम "नव नालंदा महाविहार, नालंदा सोसायटी है ।"

(ii) सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में नव नालंदा महाविहार नालंदा के परिसर में स्थित होगा ।

2. प्रबंध मंडल

सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ सोसायटी के प्रबंध मंडल में, सोसायटी के पंजीकरण की तारीख को वे सदस्य होंगे जिनके नाम संगम ज्ञापन की धारा 14 में दिए गए हैं और तत्पश्चात् जैसे ही आवश्यक नियुक्तियां तथा नामांकन हो जाते हैं तो उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे, यथा :—

(i)	बिहार के राज्यपाल	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, संस्कृति, भारत सरकार	सदस्य
(iii)	निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार	सदस्य
(iv)	कुलपति, मगध विश्वविद्यालय	सदस्य
(v)	वित्त सलाहकार (एफ० ए०), संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके नामिती	सदस्य
(vi)	संस्कृति विभाग, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	भारत सरकार द्वारा नामित दो सुविख्यात विद्वान	सदस्य
(ix)	–––	
(x)	महाविहार के निदेशक	(पदेन सदस्य)

3. जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए सोसायटी स्थापित की गई है, वे इस प्रकार हैं:—

(i) बिहार सरकार से नव नालंदा महाविहार, नालंदा जिसे इसके पश्चात् "सोसायटी" कहा जायेगा, का प्रशासन एवं प्रबंध इसकी सभी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के साथ ग्रहण करना ।

(क) सोसायटी के कार्य इस प्रकार होंगे :—

पाली भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा और शोध तथा संस्कृत, तिब्बती, चीनी, मंगोलियाई, जापानी और अन्य एशियाई भाषाओं के माध्यम से बौद्ध अध्ययन की प्रोन्नति के लिए प्राचीन विहारों (जहां अध्ययन और उच्च शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित शिक्षक व छात्र इकट्ठे रहते थे) के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा के

एक आवासीय केन्द्र का विकास करना । इसके अलावा विश्व के विभिन्न भागों में समकालीन बौद्ध धर्म को भी शिक्षा एवं शोध का विषय बनाया जाए ।

(ख) निम्नलिखित विषयों में विभागों की स्थापना करना व उनका अनुरक्षण करना :

(1) पाली और बौद्ध शिक्षा (2) भारतीय दर्शन और तुलनात्मक धर्म की रूपरेखा सहित बौद्ध दर्शन (दोनों हिनयाण और महायाण), तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा के विशेष संदर्भ में दर्शन शास्त्र, (3) बौद्ध इतिहास और संस्कृति तथा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय और एशियाई अध्ययन, (4) भाषा-विज्ञान और आधुनिक भाषाएं, तथा (5) मंगोलियाई, कोरियाई और चीनी भाषाओं सहित तिब्बती और चीनी शिक्षण विभाग तथा (6) ऐसे अन्य विषय जिन्हें "सोसायटी" समय-समय पर आरंभ करने का निर्णय करे ।

(ग) उपर्युक्त विषयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना,

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के स्नातकों और प्राच्य विद्वानों को प्रवेश देना तथा उन्हें पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं पर आधारित बौद्ध अध्ययन और शोध कार्य में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना एवं उन्हें प्राचीन शिक्षा की गूढ़ता और गहराई से परिचित कराना,

(ङ) परंपरागत मठ-विषयक शिक्षा में प्रवीण मठ तथा साधारण अध्यताओं को शामिल करना और शोध तथा तुलनात्मक अध्ययन की आधुनिक विधियों से परिचित कराना,

(च) इसके अध्येताओं और प्रोफेसरों को विश्व के विशेष रूप से पड़ोसी बौद्ध देशों के बौद्ध शिक्षा के मान्यता प्राप्त केन्द्रों में भेजना ताकि वे उनकी परंपराओं की मूल जानकारी प्राप्त कर सकें तथा भारत और उन देशों के बीच विद्यमान पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर सकें ।

(छ) विश्व के विभिन्न भागों के सुविख्यात बौद्ध अध्येताओं को अपने विशेष विषयों पर व्याख्यान देने के लिए सोसायटी को अतिथि प्रोफेसरों के रूप में यदा-कदा दौरों पर आमंत्रित करना,

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित करना और शैक्षिक पुरस्कार प्रदान करना तथा व्यक्तियों को विशिष्ट पदक एवं उपाधियां प्रदान करना, मानद पुरस्कार एवं अन्य विशिष्ट पदक प्रदान करना और ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विशिष्टताओं के लिए कुशलता के मानदंड निर्धारित करना,

(झ) नियमों व उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्तियां, ज्ञानवृत्तियां, पुरस्कार एवं पदक प्रदान करना,

(ञ) मानद डिग्रियां, पुरस्कार और अन्य विशिष्ट पदक प्रदान करना,

(ट) पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, मंगोलियाई और अन्य भाषाओं की बौद्ध कृतियों का संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन करना ।

(ठ) बोर्ड एवं संबद्ध शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मूल एवं शोध कृतियों को संकलित एवं प्रकाशित करना,

(ड) शोध संस्थाओं के साथ शोध-कार्य समन्वित करने के लिए भारत और भारत के बाहर ऐसी ही अन्य शोध संस्थाओं के साथ सहयोग करना,

(ढ) पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य में अद्यतन पुस्तकालय गठित करना, जिसमें मुद्रित एवं पांडुलिपियों के रूप में ऐसी सामग्री हो, जिनमें शोध कार्यों के पूर्ण एवं अभिनव प्रकाशन तथा आधुनिक चिंतन संबंधी प्रकाशन शामिल हों ताकि व्यापक एवं तुलनात्मक अध्ययन को सुकर बनाया जा सके,

(ण) शोध एवं संदर्भ कक्ष तथा संग्रहालय स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना,

(त) सोसायटी के उद्देश्यों से आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह मिलते हुए उद्देश्यों वाली विश्व की शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों, अध्येताओं के आदान-प्रदान द्वारा सहयोग करना तथा सामान्यतया इस प्रकार से करना जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रेरक हों,

(थ) बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करना, और

(द) सोसायटी के प्रकाशनों का एक प्रकाशन एवं बिक्री विभाग स्थापित करना तथा उसका रख-रखाव करना,

(ध) ऐसी किसी भी संस्था या सोसायटी को अंशदान देना या उनका सदस्य बनना अथवा उनके साथ सहयोग करना, जिसके उद्देश्य आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से सोसायटी के उद्देश्यों के समान हों अथवा जिनकी प्रोन्नति सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो,

(न) ऐसी अन्य संस्थाओं, संगठनों, निकायों या सोसायटी के साथ इसका समेकन करना जिसके उद्देश्य पूर्ण– तथा अथवा आंशिक रूप से सोसायटी के उद्देश्य के समान हों ।

3. (ii) (क) छात्रों/शोधकर्त्ताओं के लिए ऐसे शुल्क और प्रभार नियत करना और उनकी मांग करना जो सोसायटी के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए उप–नियमों में निर्धारित हों,

(ख) छात्रों के आवास के लिए हालों और छात्रावासों की स्थापना करना, उनका रख-रखाव तथा प्रबंध करना ।

(ग) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, अनुशासन को विनियमित करना और छात्रों के स्वास्थ्य कल्याण तथा सांस्कृतिक एवं सामूहिक जीवन को उन्नत करने की व्यवस्था करना,

3 (iii) (क) समयोचित शर्तों पर किसी भी प्रकार के धन, प्रतिभूतियों अथवा संपत्तियों के अनुदान को प्राप्त अथवा स्वीकार करना,

(ख) किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति को उपहार–स्वरूप क्रय द्वारा, विनियम द्वारा, पट्टे पर, किराए पर अथवा अन्यथा प्राप्त करना और ऐसी इमारतों का निर्माण, रख रखाव, परिवर्तन, गिराना तथा मरम्मत संबंधी कार्य करना जो सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है,

(ग) प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर सोसाइटी की चल अथवा/और अचल संपत्ति का पूरा अथवा उसका कोई भी भाग बेचना, पट्टे पर देना, आदान-प्रदान करना, किराए पर लेना, स्थानान्तरित करना अथवा निपटान करना, बशर्ते अचल संपत्ति के स्थानान्तरण अथवा निपटान के लिए राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो,

(घ) सोसायटी के किसी भी ऐसे धन और प्रतिभूतियों को, जिनकी सोसायटी के किसी कार्यकलाप के लिए तत्काल आवश्यकता न हो, इस प्रकार से निवेशित करना और उनका लेन देन करना, जैसा कि समय-समय पर यथा निर्धारित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों में प्रावधान हो,

(ङ) चैक नोट अथवा अन्य परक्राम्य लिखित तथा सरकारी ड्राफ्ट निकालना, बनना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा पट्टे पर देना ।

(च) सोसायटी के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए धन के वास्ते अपील जारी करना तथा किसी भी ऐसी अक्षय निधियों, न्यासों, निधियों अथवा दान की व्यवस्था करना, जो सोसाइटी के उद्देश्यों से असंगत न हो,

(छ) सोसायटी की किसी परिसंपत्ति के मूल्यह्रास अथवा मरम्मत, उसके सुधार, विस्तार अथवा अनुरक्षण या सोसायटी के अधिकार के लिए और या क्षयकारी परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए अरक्षण कोष, बीमा कोष अथवा अन्य किसी विशेष कोष का सृजन करना, परन्तु ऐसे कोष या निधियां सृजित करना या उनको बनाए रखना, जो उचित या समयोचित हों,

(ज) राज्य सरकार से बिहार सरकार द्वारा अगस्त, 1951 में स्थापित नव नालंदा महाविहार, नालंदा की परिसम्पत्तियां और देयताएं अपने नियंत्रण में लेना ।

(झ) सोसायटी की सभी या किसी चल या अचल संपत्ति प्रतिभूति पर या प्रतिभूति को गिरवी न रखकर, शुल्क लेकर या भाराक्रांति या वचन देकर या अन्य किसी भी ढंग से धन उधार लेना अथवा धन जुटाना बशर्ते कि इस संबंध में राज्य सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।

(ञ) सोसायटी के प्रयोजनार्थ अनुदान, अंशदान प्राप्त करना,

(ट) नव नालंदा महाविहार नामक कोष बनाना, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जायेंगे :—

(i) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई समस्त धनराशि,

(ii) सोसायटी द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क तथा अन्य प्रभार,

(iii) सोसायटी द्वारा अनुदान स्वरूप, उपहारस्वरूप दान स्वरूप, उपकार स्वरूप, उत्तर दानस्वरूप अथवा स्थानान्तरण स्वरूप प्राप्त किया गया समस्त धन, तथा

(iv) सोसायटी द्वारा अन्य किसी स्रोत से अन्य किसी प्रकार प्राप्त किया गया धन ।

(ठ) कोष में डाले गए समस्त धन को इस प्रकार जमा कराना जैसा कि सोसायटी के प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए और जैसा नियमों के अन्तर्गत प्रावधान हो,

3(iv) (क) सोसायटी के कार्य संचालन के लिए नियम और विनियम तथा उप नियम बनाना तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उन्हें समय-समय पर संशोधित करना, बदलना अथवा रद्द करना,

(ख) ऐसी समिति अथवा समितियां गठित करना जिन्हें सोसायटी उचित समझे,

(ग) सोसायटी द्वारा अपनी समस्त अथवा कोई भी शक्ति, अपनी किसी भी गठित समिति या किसी भी सदस्य को सौंपा जाना,

(घ) सोसायटी के लिए और उसकी ओर से कोई भी अनुबंध करना,

(ङ) सोसायटी की ओर से सभी कानूनी कार्रवाईयों पर वाद और प्रतिवाद चलाना,

(च) सोसायटी के किसी भी दस्तावेज को तैयार करने अथवा कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का अटार्नी नियुक्त करना और उसे सोसायटी द्वारा उचित समझी जाने वाली शक्तियां प्रदान करना,

(छ) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी द्वारा आवश्यक प्रासंगिक अथवा सहायक समझे जाने वाले सभी कार्यों और/अथवा मामलों को अकेले अथवा अन्य संगठनों या व्यक्तियों के सहयोग से निपटाना ।

4. सोसायटी की सुविधाएं और सोसायटी द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रम किसी भी जाति, लिंग, धर्म अथवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगी/होंगे तथा इसके सदस्य छात्र, शिक्षक तथा कार्यकर्ता नियुक्त करते समय उनकी धार्मिक आस्था अथवा व्यवसाय के संबंध में उन पर कोई भी जांच पड़ताल अथवा शर्त नहीं लगाई जाएगी ।

5. केन्द्र सरकार के परामर्श से सोसायटी स्टाफ के उन सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों को अपनी यथा निर्धारित शर्तों पर नियोजित कर सकती है, जो सोसायटी का पंजीकरण किए जाने से तत्काल पूर्व नव नालंदा महाविहार में नियोजित थे, बशर्ते कि उनका नियोजन सोसायटी के हित में हो,

6. (क) सोसायटी का पंजीकरण हो जाने पर, नव नालन्दा महाविहार नालन्दा तथा इसकी आनुसंगिक भूमि, फर्नीचर की वस्तुओं, पुस्तकालय, भंडारों, उपकरणों, उपस्करों, औजारों तथा यंत्रों सहित इसके संबद्ध छात्रावास हॉल तथा अन्य भवन, जो इसके अभिन्न भाग हैं, सोसायटी के अनुरक्षण तथा नियंत्रण में स्थानान्तरित हुए समझे जाएंगे ।

(ख) नव नालन्दा महाविहार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास के भवनों, इससे संबद्ध समस्त अन्य प्रकार की भूमि तथा साथ-साथ उनमें लगी हुई वस्तुएं, बिजली तथा आवश्यक साज-सामान और जल के कनेक्शन्स सोसायटी का पंजीकरण हो जाने पर, सोसायटी के अनुरक्षण और नियंत्रण में स्थानान्तरित हुए समझे जाएंगे ।

(ग) सोसायटी द्वारा व्यवस्था किए जाने तक उपरोक्त सभी भवनों तथा उनमें न लगी हुई सभी वस्तुओं, फिटिंग्स और कनेक्शन्स के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार जवाबदेह होगी ।

7. सोसायटी के सभी कार्यों का प्रबंध-बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

8. बिहार के राज्यपाल सोसायटी के पदेन अध्यक्ष और कुलाधिपति होंगे और महाविहार के निदेशक प्रबंध-बोर्ड के पदेन सदस्य सचिव होंगे । केन्द्र सरकार तीन व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित करेगी। प्रबंध-बोर्ड के सदस्यों के रूप में, (i) पाली, (ii) बौद्ध संस्कृत और साहित्य, (iii) बौद्धदर्शन और (iv) भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म का इतिहास और संस्कृति, इत्यादि जैसे विषयों के तीन प्रख्यात अध्यताओं का मनोनयन किया जाएगा । इनमें से दो का मनोनयन कुलाधिपति और प्रबंध-बोर्ड के सचिव के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा । मगध विश्वविद्यालय के कुलपति भी प्रबंध-बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे ।

9. इस पैरा में शामिल किसी भी तथ्य के होते हुए भी सोसायटी के पंजीकरण से तत्काल पूर्व कार्य कर रहा महाविद्यालय का प्रबंध-बोर्ड, उसी प्रकार कार्य करता रहेगा और जब तक सोसायटी के प्रबंध-बोर्ड का गठन सोसायटी के नियमों और विनियमों के अधीन नहीं कर लिया जाता, तब तक सोसायटी के प्रबंध-बोर्ड के रूप में कार्य करता रहेगा । किन्तु नियमों के अधीन प्रबंध-बोर्ड का गठन कर लेने के बाद, इस गठन से पूर्व कार्य कर रहे प्रबंध-बोर्ड के सदस्यगण अपने पद पर नहीं रहेंगे ।

10. सोसायटी की सभी चल और अचलसंपत्ति प्रबंध बोर्ड में निहित होगी ।

11. किसी भी प्रकार से अर्जित सोसायटी की आय तथा संपत्ति का उपयोग इस संगम ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की प्रोन्नति के लिए किया जायेगा परन्तु यह उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के व्यय के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लागू शर्तों के अनुसार किया जायेगा । सोसायटी की आय तथा सम्पत्ति के किसी भाग का ऐसे व्यक्तियों, जो सोसायटी के कभी सदस्य रहे हों या इस समय हैं, अथवा उनमें से किसी को या उनके अथवा उनमें से किसी के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को लाभ के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा,

परन्तु किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा सोसायटी के प्रति की गई सेवा के बदले में उसको पारिश्रमिक अथवा यात्रा भत्ता या प्रवास भत्ता तथा अन्य ऐसे प्रभारों के सद्भावपूर्वक भुगतान को नहीं रोका जाएगा ।

12. बिहार सरकार द्वारा अगस्त, 1951 में स्थापित नव नालंदा महाविहार, नालंदा के कार्यों को 1981 से सोसायटी को, इसका सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण हो जाने के बाद, सौंप दिए गए समझे जाएंगे ।

13. सोसायटी के नियमों एवं विनियमों की प्रबंध-बोर्ड के तीन सदस्यों द्वारा यथा प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ पंजीकरण महानिरीक्षक, बिहार सरकार, पटना के पास जमा करा दी गई है ।

14. हम विविध लोग, जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं इस संगम ज्ञापन में वर्णित प्रयोजनों के लिए स्वयं को संबद्ध करते हुए, एतद्द्वारा अपने नाम इस ज्ञापन में शामिल करते हैं तथा आज 1993 (ईसवी सन) के ..... माह के ..... वें दिन तदनुसार 1915 (शक) के ..... माह के ..... वें दिन सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अधीन हम सभी संबंधित व्यक्ति एतद्द्वारा अपने आपको एक सोसायटी का रूप प्रदान करते हैं ।

क्रम सं०	सदस्य का नाम व्यवसाय और पता	सदस्य के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम व्यवसाय और पता	साक्षी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1.				
2.	श्री सीताकान्त महापात्रा, सचिव, संस्कृति विभाग			
3.				
4.				
5.	सुश्री सुजाता चौहान, वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
6.	श्रीमती कोमल आनन्द, संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग			
7.				
8.	श्रीमती अंजला मौलिक, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण			
9.				
10.	डी० एस० नेहरा, उप सचिव, संस्कृति विभाग			

अनुबंध-ख

नव नालन्दा महाविहार सोसायटी, नालन्दा नियम तथा विनियम

1. लघु शीर्षक :—

इन नियमों तथा विनियमों को "नव नालन्दा महाविहार नालन्दा सोसायटी के नियम तथा विनियम" कहा जाएगा ।

2. परिभाषा :—

जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहो, तब तक इन नियमों तथा विनियमों में :—

(i) "सोसायटी" का अर्थ नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा सोसायटी है,

(ii) "अध्यक्ष" का अर्थ बिहार के राज्यपाल, जो नव नालन्दा महाविहार नालन्दा सोसायटी के प्रबंध बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे,

है,

(iii) "कुलपति" का अर्थ बिहार के राज्यपाल, नव नालन्दा महाविहार नालन्दा सोसायटी के शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होंगे,

(iv) "प्रबंध-बोर्ड" का अर्थ ऐसा निकाय है, जिसका गठन नियम 3 के अंतर्गत "प्रबंध-बोर्ड" के रूप में, किया गया हो,

(v) "निदेशक" का अर्थ नव नालन्दा महाविहार नालन्दा सोसायटी का निदेशक है,

(vi) "सचिव" का अर्थ नव नालन्दा महाविहार नालन्दा सोसायटी का निदेशक है, जो "प्रबंध-बोर्ड" के सचिव के रूप में कार्य करेगा,

(vii) सोसायटी के "अधिकारी और स्टाफ" का अर्थ नियम 5 में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी और सोसायटी के लिए प्रबंध-बोर्ड, द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी तथा स्टाफ सदस्य हैं,

(viii) एक वचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन शब्द तथा बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एकवचन शब्द भी शामिल हैं । इसी प्रकार पुल्लिंग द्योतक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग द्योतक शब्दों के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द शामिल है,

(ix) "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ भारत सरकार है, और

(x) "राज्य सरकार" का अर्थ बिहार सरकार है

3. सोसाइटी के सदस्य :

इस सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. बिहार के राज्यपाल	अध्यक्ष
2 सचिव संस्कृति विभाग, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3. सचिव, कालेज शिक्षा प्रभारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4. मुख्य महालेखाकार, बिहार	सदस्य
5. उपकुलपति, विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय।	सदस्य
6. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ।	सदस्य
7. भारत सरकार द्वारा नामित बौद्ध धर्म के तीन अध्येता ।	सदस्य
8 वित्त सलाहकार, संस्कृति विभाग, भारत सरकार ।	सदस्य
9. संयुक्त सचिव संस्कृति विभाग, भारत सरकार, इस विषय के प्रभारी	सदस्य
10. नव नालन्दा महाविहार के निदेशक	सदस्य

4. सदस्यता की अवधि

नियम 3 की मद 4 से 6 तक के अन्तर्गत नामित इस सोसायटी के गैर-सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे प्रत्येक सदस्य । अपना कार्य-काल समाप्त होने पर पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा ।

पदेन सदस्य को छोड़कर इस सोसाइटी के अन्य सदस्य इसके सदस्य नहीं रहेंगे, यदि

(क) उनकी मृत्यु हो जाती है वे त्याग पत्र दे देते हैं अथवा उनका चित्त विकृत हो जाता है य, वे दिवालिया हो जाते हैं अथवा वे अपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हो जाते हैं ।

(ख) वे अध्यक्ष की समुचित अनुमति लिए बिना, सोसाइटी की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं ।

(ग) इस सोसाइटी की सदस्यता से त्याग पत्र सचिव को देना होगा और यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार नहीं कर लिया गया हो ।

(घ) उपर्युक्त कारणों में से किसी भी वजह से इस सोसाइटी में हुई रिक्ति उन प्राधिकारियों द्वारा नामांकन द्वारा भरी जाएगी जो इस प्रकार के नामांकन करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति सदस्यता-अवधि की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेंगे ।

(ङ) सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित सरकारी अधिकारी पद की अवधि तक के लिए नामित होगा और ऐसा अधिकारी तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि वह उस पद पर रहता है जिसके नाते वह सदस्य बना है,

(च) यह सोसाइटी इसके बावजूद भी कार्य करेगी । ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने पद के कारण सदस्य बनने का पात्र है, पर अभी इस सोसाइटी का सदस्य नहीं है और इसके निकाय में कोई रिक्ति होने के बावजूद नियुक्ति न करने अथवा अन्य कारण से वह सदस्य नहीं है तो भी सोसाइटी की कार्यवाही सम्बन्धी कोई भी कार्य उपरोक्त बातों अथवा इसके सदस्यों की नियुक्ति में त्रुटि होने के कारण मात्र से ही अवैध नहीं माना जाएगा ।

5. सोसाइटी के अधिकारी तथा प्राधिकरण :

(क) अधिकारी—इस सोसाइटी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात्

(i) कुलपति

(ii) अध्यक्ष

(iii) निदेशक व सचिव

(iv) रजिस्ट्रार

(v) प्रबंध बोर्ड द्वारा इस प्रकार नामोद्दिष्ट अन्य व्यक्ति ।

(ख) प्राधिकरण—इस सोसाइटी के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :

(i) प्रबन्ध-बोर्ड और

(ii) ऐसी कोई अन्य स्थाई समिति अथवा समितियां अथवा उप-समितियां जिन्हें अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध-बोर्ड कोई एक कार्य अथवा अधिक कार्य करने के लिए गठित करे ।

6. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य :

(क) यह सोसाइटी कुलपति/अध्यक्ष को एक संकल्प द्वारा, जैसा यह उचित समझेगी कार्य संचालन के लिए अपनी शक्तियां इस शर्त पर सौंपेगी कि कुलपति/अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत की गई अपनी कार्रवाई प्रबन्ध-बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) अध्यक्ष अपनी इस प्रकार की शक्तियों को, जैसा वह आवश्यक समझे, निदेशक और अथवा रजिस्ट्रार को सौंप सकता है ।

(ग) जब कोई आपातकाल की स्थिति हो और अध्यक्ष यह अपेक्षित समझे (जब प्रबंध-बोर्ड का सत्र न हो) कि इस दौरान तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए तो अध्यक्ष यथा आवश्यक कार्रवाई कर सकता है । वह प्रबंध-बोर्ड की अगली बैठक में अपनी कार्रवाई की सूचना देगा ।

(घ) अध्यक्ष बोर्ड का अनुमोदन यथा समय प्राप्त होने की प्रत्याशा में, सोसाइटी के हित में कोई भी कार्रवाई करने के लिए पात्र होगा ।

(ङ) किसी भी कारणवश, निदेशक का पद रिक्त रहने अथवा और मुख्यालय से निदेशक की लम्बी अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे, निदेशक की शक्तियों, कार्यों तथा कर्त्तव्यों को करने के लिए सोसाइटी के किसी भी सेवारत अधिकारी अथवा अधिकारियो को प्रतिवृत कर सकता है, बशर्ते कि की गई कार्रवाई की सूचना प्रबन्ध-बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करनी होगी ।

7. निदेशक की शक्तियां और कार्य :

निदेशक इस सोसाइटी का प्रमुख शैक्षिक तथा कार्यकारी अधिकारी होगा और इस सोसाइटी के उचित प्रशासन और निर्देश देने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा । इस सोसाइटी का अन्य समस्त स्टाफ़ उसके अधीन होगा ।

निदेशक का यह भी कार्य होगा :—

(क) प्रबन्ध-बोर्ड की शक्तियों के अधीन वह यह देखने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि समस्त धन राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की गई है, जिन प्रयोजनों के लिए वह मंजूर या आवंटित की गई है,

(ख) सोसाइटी की ओर से किए गए सम्पत्ति के सभी ठेकों और आश्वासनों पर, प्रबन्धबोर्ड द्वारा इनका अनुमोदन किए जाने के बाद, हस्ताक्षर करना,

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो उसे प्रबंध-बोर्ड अथवा इसके अध्यक्ष द्वारा सौंपी जाए,

(घ) निदेशक को, प्रबन्ध बोर्ड अथवा अध्यक्ष की अनुमति से या उनकी अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में, अपने किसी भी अधीन अधिकरी को अपनी कुछ शक्तियां पुनःप्रत्यायोजित करनेकाअधिकार प्राप्त होगा ।

(ङ) निदेशक सोसायटी के सभी अधिकारियों तथा स्टाफ के कार्य निर्धारित करेगा और यथा आवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा ।

(च) नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रपत्र तथा समय पर आगामी वित्त वर्ष के लिए, सोसायटी की अनुमानित आय तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना तथा नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित संख्या में इसकी प्रतियां भारत सरकार को अग्रसारित करना,

(छ) अनुमोदित बजट के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार धन राशि व्यय करना,

(ज) नियमों में यथा निर्धारित समुचित लेखे फार्म में तथा अन्य आनुषंगिक रिकार्ड रखना और वार्षिक लेखा-विवरण तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार करना ।

(झ) किसी सनदी लेखाकार अथवा सोसायटी के प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसायटी के प्रमाणित लेखे प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजना।

8. रजिस्ट्रार की शक्तियां तथा कार्य :

रजिस्ट्रार प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त होगा, रजिस्ट्रार उस वित्त समिति अथवा किसी अन्य उप समिति का पदेन सचिव होगा, जिसे अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा गठित किया जाएगा, परन्तु वह इन अधिकारिणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जायेगा ।

रजिस्ट्रार का यह भी कार्य होगा :

(क) रजिस्ट्रार सोसायटी के रिकार्ड, कोष तथा किसी भी ऐसी सम्पत्ति, जिसका उत्तरदायित्व प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उसे सौंपा जायेगा का अभिरक्षक होगा ।

(ख) सोसायटी के प्राधिकारियों की ओर से औपचारिक पत्र व्यवहार करना,

(ग) सोसायटी के प्राधिकरणों की सभी बैठकों तथा अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी समितियों के कार्यवृत्त रखना,

(घ) सोसायटी के लेखे रखना।

(ङ) प्रबंध-बोर्ड का नियंत्रण किए जाने की शर्त के अनुसार सोसायटी की सम्पत्ति तथा निवेशों का प्रबंध करना, और वार्षिक प्राक्कलन तथा लेखा विवरण तैयार करके प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी होना,

(च) सोसायटी के लिए दिए गए किसी भी धन के संबंध में रजिस्ट्रार अथवा प्रबंध बोर्ड द्वारा इस संबंध विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी रसीद इस धन का पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

(छ) रजिस्ट्रार अपने कर्तव्यों के उचित पालन तथा कार्यों के संबंध में सीधे ही सोसायटी के निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा, और

(ज) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनको प्रबंध बोर्ड अथवा/और अध्यक्ष/निदेशक द्वारा उसे सौंपा जाएगा ।

9. प्रबंध बोर्ड

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का XXI के प्रयोजनार्थ इस सोसायटी के बोर्ड में, सोसायटी के पंजीकृत होने की तारीख को, वे सदस्य शामिल होंगे, जिनके नाम संगम ज्ञापन की धारा 14 में दिए गए हैं और तत्पश्चात आवश्यक नियुक्तियों तथा नामांकन होने के साथ ही इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात :—

(i)	बिहार के राज्यपाल	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, संस्कृति, भारत सरकार	सदस्य
(iii)	निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार	
(iv)	कुलपति मगध विश्वविद्यालय	सदस्य
(v)	वित्त सलाहकार संस्कृति विभाग (भारत सरकार) अथवा उनका नामिती	सदस्य
(vi)	संस्कृति विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	भारत सरकार द्वारा नामांकित दो सुविख्यात विद्वान	सदस्य
(ix)	दर्शाया जाना है	
(x)	महाबिहार का निदेशक	पदेन सचिव

10. संबंध बोर्ड की शक्तियां तथा कार्य

प्रबंध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात :—

(क) सोसायटी के कार्य का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण सोसाइटी के प्रबन्ध बोर्ड में निहित होगा, जो कि इस सोसायटी का शासी निकाय होगा,

(ख) बोर्ड द्वारा गठित किसी भी समिति के सदस्य (सदस्यों) को मनोनीत करना,

(ग) निदेशक द्वारा तैयार किए गए सोसायटी के वार्षिक बजट का वित्तीय सीमाओं, यदि कोई हों, के अन्तर्गत अनुमोदन करना,

(घ) निदेशक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना ।

(ङ) विनियम, उप-नियम तथा प्रक्रिया-नियम बनाना,

(च) निदेशक द्वारा तैयार की गई सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का अनुमोदन करना,

(छ) प्रबन्ध बोर्ड और/अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदित बजट के प्रावधानों, समय-समय पर निर्धारित नियमों तथा नीति-निर्देशों के अधीन निदेशक को समस्त व्यय करने के लिए प्राधिकृत करना,

(ज) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संगठनों में सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करना,

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाए गए वेतनमान में शिक्षण पदों का सृजन करना और समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उन पदों पर नियुक्तियां करना, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों के यथा निर्धारित वेतनमान से अधिक परिलब्धियों वाले पदों को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से सृजित किया जाएगा तथा भरा जाएगा,

(ञ) प्रशासनिक, विशेष अनुसचिवीय तकनीकी, तथा अन्य पदों का सृजन करना और नियमों के अनुसार इन पर नियुक्तियां करना, बशर्ते कि 1,200 रुपये से अधिक मासिक परिलब्धियों वाले पदों को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से सृजित किया जाएगा और भरा जाएगा ।

(ट) उपर्युक्त उप धारा (झ) और (ञ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान रिक्त पदों पर शिक्षण तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करना, स्टाफ की सेवाओं का विस्तार करना तथा पदोन्नति प्रदान करना और दोषी स्टाफ को दण्डित करना ।

(ठ) स्टाफ के सदस्यों के अनुशासन को नियंत्रित करना और उनके निवास का निरीक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य सामान्य कल्याण सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना,

(ड) स्टाफ पर पूर्ण प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखना, किन्तु ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिनकी सेवाएं सोसाइटी को सौंपी गई हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई करने के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगी ।

(ङ) भारत सरकार के परामर्श से सोसाइटी के निदेशक की नियुक्ति करना परन्तु प्रथम निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(ण) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उप नियम बनाएगा, जिनमें, अन्य बातों के अलावा साथ-साथ, निम्नलिखित सभी अथवा कोई भी मामला शामिल होगा; अर्थात :

(1) शिक्षण विभागों को बनाना,

(2) शिक्षावृत्तियां, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पुरस्कारों तथा पादकों की स्थापना करना,

(3) सोसाइटी के अधिकारियों शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य नियमों में यथा निर्धारित विधि से तथा शर्तों के अनुसार पेंशन तथा/और भविष्य निधि, बीमा इत्यादि जैसी सुविधाएं जिन्हें सोसाइटी उचित समझे, प्रदान करना,

(4) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना तथा उनका रख-रखाव और सोसाइटी के छात्रों के आवास की स्थिति ।

(त) इन नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे कार्य करना, जो इसकी राय में, संगठन के समुचित प्रबन्ध और अनुरक्षण तथा सोसाइटी के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो ।

11 सोसाइटी की कार्यवाहियां :

बैठकें : (क) अध्यक्ष को प्रबन्ध बोर्ड की सांविधिक बैठकों के अतिरिक्त जहां भी वह आवश्यक समझे, इसकी बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(ख) प्रबन्ध बोर्ड की सभी बैठकें सचिव के हस्ताक्षर के अन्तर्गत नोटिस जारी करके बुलाई जाएंगी ।

(ग) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों में सभी विवादित प्रश्न यथा सम्भव आम सहमति से तय किए जाएंगे,

(घ) बराबर वोट होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(ङ) सचिव बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा,

(च) बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम होगा, परन्तु कोरम पूरा न होने के कारण यदि कोई बैठक स्थगित होती है तो यह बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख, स्थान तथा समय के अनुसार आयोजित की जाएगी और यदि ऐसी बैठक में भी कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आयोजित करने करने के लिए नियत किए गए समय के आधे घंटे के अन्दर उपस्थित होने वाले सदस्य ही इसका कोरम होंगे ।

(छ) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी,

(ज) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई तारीख, स्थान तथा समय के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

12. सोसाइटी की निधियां :

"नव नालंदा महाविहार कोष" नामक एक कोष स्थापित किया जाएगा जो सोसाइटी में निहित होगा और बकाया राशि यदि कोई हो, इसमें जमा की जाएगी । इसके साथ-साथ सोसाइटी का निधियों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे :

(क) सोसाइटी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान । केन्द्रीय सरकार इस सोसाइटी के रख-रखाव के लिए पिछले क्रमिक तीन वर्षों के दौरान किए गए औसत व्यय को प्रदर्शित करने वाली समुचित राशि का अंशदान सोसाइटी को खर्चों के लिए प्रत्येक वर्ष देगी । इस सोसाइटी के रख-रखाव तथा विकास पर अन्य आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च भी केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ।

(ख) अन्य स्रोतों के अंशदान,

(ग) सोसाइटी की परिसम्पत्तियों से आय।

(घ) अन्य स्रोतों से सोसाइटी की आय, और

(ङ) सोसाइटी का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक और अन्य कोई केन्द्रीय वाणिज्यिक बैंक, नालंदा होगा । समस्त धन राशि को भारतीय स्टेट बैंक, नालंदा में सोसाइटी के लेखे डाला जाएगा और कोई भी धन राशि चेक के अलावा अन्यथा नहीं निकाली जाएगी और इस चेक पर निर्देशक सचिव अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए जाएंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाएगा ।

13. लेखे तथा लेखा-परीक्षा :

(क) सोसाइटी लेखे तथा अन्य सांगतिक रिकार्ड तैयार करेगा तथा उनका अनुरक्षण करेगा और तुलन-पत्र आय-व्यय लेखा सहित वार्षिक लेखा विवरण, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विधि के अनुसार तैयार करेगा ।

(ख) तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखाओं सहित सोसाइटी के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तथा निर्धारित अवधि अथवा

व्यक्तियों द्वारा की जाएगी और इस सम्बन्ध में किए गए समस्त व्यय तथा लागत की अदायगी सोसाइटी द्वारा की जाएगी ।

(ग) लेखा-परीक्षकों को पुस्तकें, लेखा-वाउचर और अन्य सम्बन्धी कागजात मांगने का अधिकार होगा ।

(घ) लेखा परीक्षक लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट को सोसाइटी को सूचित करेगा और सोसाइटी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखा परीक्षा की एक प्रति प्रमाणित लेखाओं और टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

(ङ) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सोसाइटी लेखाओं का लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेष सुविधाएं और प्राधिकार प्राप्त होगा जो कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं का लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में, प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से उनको तत्सम्बन्धी वाउचर और अन्य दस्तावेज एवं कागजात मांगने तथा सोसाइटी के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(च) सोसाइटी प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित तारीख तक भेजेगी ।

14 वार्षिक रिपोर्ट :

सोसाइटी की कार्यवाही तथा वर्ष के दौरान किए गए कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार और प्रबंध -बोर्ड के सभी सदस्यों की सूचनार्थ निदेशक/सचिवों द्वारा तयार की जाएगी । सोसाइटी की प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं को प्रबंध-बोर्ड की किसी एक बैठक में इसके विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

15. नियमों का संशोधन :

(क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम xxi) के प्रावधानों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सोसाइटी किसी भी प्रयोजन अथवा प्रयोजनों, जिनके लिए सोसाइटी की स्थापना हुई है, में संशोधन, विस्तार अथवा संयोजन कर सकती है ।

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम xxi) के प्रावधानों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रबन्ध -बोर्ड अपनी किसी भी उस बैठक में उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत से मतदान द्वारा एक संकल्प पारित कर के किसी भी समय सोसाइटी के नियम तथा विनियमों को परिवर्तित कर सकता है, जो कि प्रबंध-बोर्ड के सदस्यों को ऐसे संकल्प के लिए विधिवत नोटिस देने के बाद इस प्रयोजनार्थ आयोजित की गई हो ।

16. विविध :

(क) जब कभी बोर्ड का सत्र न हो, तब ऐसे कोई कार्य जो प्रबंध-बोर्ड के लिए करना आवश्यक हो, उसे इसके सभी सदस्यों में परिचालित करके निष्पादित किया जा सकता है, और इस प्रकार से परिचालित तथा परिचालन में अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प वैसे ही प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा । जैसे कि वह संकल्प प्रबन्ध-बोर्ड की किसी बैठक द्वारा पारित किया गया हो।

(ख) प्रबन्ध-बोर्ड को बोर्ड की तथा उपरोक्त नियमों के अनुसार गठित अनेक समितियों की बैठकों की पद्धति के विनियमों के लिए उप नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो ।

(ग) बोर्ड एक सील तथा इसकी सुरक्षित अभिरक्षा की भी व्यवस्था करेगा और इस सील को बोर्ड के पहले दिए गए प्राधिकार के सिवाय कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जाएगा और बोर्ड का एक सदस्य उस प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा, जिस पर सील लगाई गई हो और प्रत्येक ऐसे दस्तावेज पर निदेशक और अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(घ) सोसाइटी ऐसे किसी भी लाभ को स्वीकार नहीं करेगी जिनमें, सोसाइटी की भावना, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के विरुद्ध जाने वाली शर्त अथवा बाध्यता शामिल हो,

(ङ) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ ऐसा व्यक्ति, जिसके नाम से सोसाइटी दावा करेगी या जिसके नाम से सोसाइटी पर दावा किया जा सकेगा, सोसाइटी का निदेशक होगा,

(च) प्रबन्ध-बोर्ड और इसके द्वारा गठित किसी भी समिति के सदस्य सोसाइटी से किसी भी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, परन्तु प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नियुक्त इसके अपने या इसके द्वारा गठित किसी भी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा अथवा समिति (समितियों) की बैठक में भाग लेने के लिए अथवा सोसाइटी के कुछ न्यास के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के सम्बन्ध में उनके यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति उपनियमों में किए गए प्रावधानों या प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए जाने वाले प्रावधानों, जैसी भी स्थिति हो हो के अनुसार की जाएगी ।

(छ) भारत सरकार की सेवा में रहने के विकल्प का प्रयोग करने पर सोसाइटी में प्रतिनियुक्त पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य निबंधन तथा शर्तें सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति से राज्य सरकार के साथ वित्तीय रूप से तय की जाएंगी।

(ज) सोसाइटी का विघटन अथवा समाप्त होने की स्थिति में, इसके सभी ऋण और देयताओं को चुकता करने के पश्चात् जो कुछ भी सम्पत्ति शेष रहेगी, उसे सोसाइटी के सदस्यों अथवा उनमें से किसी के बीच नहीं बांटा जाएगा, बल्कि उन पर 1860 के अधिनियम XXI की धारा 13 और 14 में उल्लिखित विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हम प्रबन्ध-बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यगण यह प्रमाणित करते हैं कि नियमों तथा विनियमों की यह एक सही प्रति है।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 25th November 1993

No. 27/10/93-CL II—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri S. S. Luthra, Company Accountant in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 29 A.

R. N. VASWANI,
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 7th December 1993

RESOLUTION

F. No. 11-1/91-Desk NNM—The Government of India, in consultation with the Government of Bihar, have had under consideration the question of assuming administrative responsibility for the Navanalanda Mahavihara, Nalanda, Society, in order to facilitate its all round development and enable it to contribute more effectively to the Institute movement in the country. In order to achieve this objective, it has been decided to set up an autonomous body, namely "Navanalanda Mahavihara, Nalanda, Society". The present composition of the Society is as follows :—

Chairman

(i) Governor of Bihar

Vice-Chairman

(ii) Secretary, Department of Culture, Government of India

Members

(iii) Secretary (Incharge of Collegiate Education in Bihar), Government of Bihar

(iv) Vice-Chancellor of the University to which Mahavihara is affiliated

(v) Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi

(vi) Three eminent Scholars of Buddhism to be nominated by the Government of India

(vii) Financial Adviser, Department of Culture, New Delhi

(viii) Joint Secretary, Department of Culture Government of India, New Delhi

Member Secretary

(ix) Director, Nava Nalanda Mahavihara

2. The Society will function in terms of Memorandum of Association of Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society and its Rules and Regulations (Annexure-A&B). Some of its major aims and objectives are :—

(i) to take over from the Government of Bihar the administration and management of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, hereinafter called the "Society" with their assets in the form of the property movable or immovable.

The function of the Society shall be :

(a) to develop a residential centre of education of international importance on the line of the ancient/old Viharas (where the teachers and the taught lived together devoting themselves to studies and higher academic pursuits) for the promotion of higher studies and research in Pali language and literature, and Buddhist studies through Sanskrit, Tibetan, Chinese, Mongolian, Japanese and other Asian languages. In Addition, contemporary Buddhism in various parts of the world may also be made subjects of studies and research;

(b) to set up and maintain departments of studies in (1) Pali and Buddhism, (2) Philosophy with special reference to Buddhist Philosophy (both Hinayana and Mahayana), Logic and Epistimology including outlines of Indian Philosophy and comparative religion, (3) Ancient Indian and Asian Studies with a special reference to Buddhist History and Culture and spread of Buddhism, (4) Linguistics and Modern Languages, and (5) the Department of Tibetan and Chinese Studies including Mongolian, Korean and Japanese languages, and (6) such other subjects as the "Society" may decide to introduce from time to time;

(c) to prescribe courses of studies for the subjects mentioned above;

(d) to admit graduates and oriental scholars of recognised universities and institutions and to train them in post graduate programmes of Buddhist studies and research based on Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese, and other languages and to make them acquainted with the profoundity and depth of ancient learning;

(e) to accommodate monks and lay scholars, versed in traditional monastic learning, and to acquaint them with modern methods of research and comparative studies;

(f) to send its scholars and professors to recognised centres of Buddhist learning in the world, specially to neighbouring Buddhist countries to ecquire first hand knowledge of their traditions, and also to revive the old cultural ties existed between India and those countries;

(g) to invite emient Buddhist scholars from different parts of the world for occasional visits as visiting professors to the Society to deliver lectures on their special subjects;

(h) to hold examinations and to grant academic awards under Section 3 of the U.G.C. Act 1956 and distinctions or titles to persons and to confer honorary awards or other distinctions, and to prescribe standards of proficiency for the award of such diplomas, certificates and other distinctions;

(i) to award fellowships, scholarships, prizes and medals in accordance with the rules and bye-laws;

(j) to confer honorary degrees, awards, and other distinctions;

(k) to critically edit, translate and publish Buddhist works from Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese, Japanese, Mongolian and other languages;

(l) to compile and publish original and research works on different aspects of Buddhist and allied studies;

(m) to co-operate with similar Research Institutions in and outside India, in order to coordinate research work with them;

(n) to organise an up-to-date library of the Buddhist literature in Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese and other language containing printed as well as manuscript materials, including former and recent publications of research works, and also of modern thought, in order to facilities comprehensive and comparative studines;

(o) to establish and maintain research and reference rooms and museum;

(p) to co-operate with educational and other institutions in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the Society by exchange of teachers, scholars and generally in such a manner as may be conductive to their common objects;

(q) to publish journals, periodicals and different aspects of Buddhism;

(r) to set up and maintain a publication and Sales Department of the publications of the Society;

(s) to subscribe to, or become a member of, or to co-operate with any other Associations or Society, whose objects are similar, wholly or partly, to the objects of the Society or the promotion of which may be conducive to the attainment of the objects of the Society;

(t) to get in itself integrated any other institutions, associations, body or society, whose objects are similar, wholly or partly, to the objects of the Society.

2. (ii) (a) to fix and demand such fees and other charges from the students/Research Scholars, as may be laid down in the bye-laws made under the Rules and Regulations of the Society;

(b) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of the students;

(c) to supervise and control the residence, to regulate the discipline and to make arrangements for promoting their health, welfare and cultural and corporate life of the students.

2. (iii) (a) to draw and accept grants of money, securities or property of any kind on such terms as may be expedient;

(b) to acquire by gift, purchase, exchange, lease, hire or otherwise, howsoever, any property, movable or immovable and to construct, maintain, alter, demolish and repair such buildings, works, and constructions, as may be necessary for carrying out the objects of the Society;

(c) to sell, lease, exchange, hire, transfer or otherwise dispose off all or any portion of the property, movable or/and immovable of the Society on such terms and conditions as it may be decided by the Board Management, provided that prior approval in writing of the State Government is obtained for the transfer or disposal of immovable property;

(d) to invest and deal with any moneys and securities of the Society not immediately required for any of its activities in such a manner as may be provided by the rules and regulations of the Society as may be provided by the rules and regulations of the Society as may from time to time be determined;

(e) to draw, make accept, endose and discount cheques, notes or other negotiable instruments and Government drafts;

(f) to issue appeals for funds in furtherance of the objects of the Society and undertake management of any endowments, trusts, funds or donations not inconsistent with the objects of the Society;

(g) to create any Reserve Fund Insurrance Fund or any other Special Fund whether the depreciation or for repairs, improving, extending or maintaining any of the properties or rights of the Society and/or for recoupment of wasting assets deems it expedient or proper to create and maintain any such Fund or Funds;

(h) to take over from the State Government all the assets and liabilities of the Nav Nalanda Mahavihara, Nalanda which was established by the Government of Bihar in August, 1951;

(i) to borrow and raise moneys with or without security or on the security of a mortage, charge, or hypothecation or pledge of all or any of the movable or immovable properties belong to the Society or in any other manner whatsoever provided that prior approval in writing of the State Government is obtained in that behalf;

(j) to receive grants, subscriptions, donations for the purposes of the Society;

(k) to maintain a fund to be called the Nava Mahavihara fund to which shall be credited—

(i) all moneys provided by the Central and State Governments;

(ii) All fees and other charges received by the Society;

(iii) all money received by the Society by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(iv) all moneys received by the Society in any other manner from any other source.

(l) to deposit all moneys credited to the fund in such manner as may be decided by the Board of Management of the Society and provided under the rules;

2. (iv) (a) to make Rules and Regulations and Bye-laws for the conduct of the affairs of the Society and to add to, amend, vary or rescind them from time to time with the approval of the Central Government;

(b) to constitute such committee or committees as the Society may deem fit;

(c) to delegate all or any of its power to any member or committee constituted by it;

(d) to enter into any agreement for and on behalf of the Society;

(e) to sue and decend all legal proceedings on behalf of the Society;

(f) to appoint, in order to execute, any instrument or transact any business of the Society, and person as attorney of the Society with such powers as it may deem fit;

(g) to do all such other acts and/or things either alone or in conjunction with other organisations or persons as the Society may consider necessary incidental or conducive to the attainment of the above said objectives.

KOMAL ANAND,
Joint Secretary

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and to all State Govts. and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KOMAL ANAND,
Joint Secretary

ANNEXURE—'A'

MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES OF THE NAVA NALANDA MAHAVIHARA, NALANDA

In the mater or Act XXI of 1860 for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.

and

in the matter of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society hereinafter referred to as the "Society".

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. (i) The name of the Society is "The Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society,"

(ii) The registered office of the Society shall be situated in the premises of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, in the district of Nalanda, Bihar State.

2. BOARD OF MANAGEMENT :

The Board of management of the society for the purpose of the Societies Registration Act (XXI of 1860) shall on the date of registration of the Society, consist of the members, whose names are set out in Clause 14 of the Memorandum of Association and thereafter, as soon as the necessary appointments and nominations have taken place, shall consist of the following, namely :

Chairman

(i) Governor of Bihar

Member

(ii) Secretary, Culture, Govt. of India.

(iii) Director, Higher Education, Bihar

(iv) Vice-Chancellor, Magadh University

(v) F. A., Deptt. of Culture, Ministry of Human Resource Development, or his nominee

(vi) A Representative of the Deptt. of Culture, Govt. of India

(vii) A Representative of the Ministry of External Affairs, Govt. of India.

(viii) Two eminent scholars nominated by the Government of India

(ix) ————

(x) Director of the Mahavihar

(Ex-officio Secretary)

3. The aims and objects for which the Society is set up/established are :

(i) to take over from the Government of Bihar the administration and management of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, hereinafter called the "Society" with their assets in the form of the property movable or immovable.

The functions of the Society shall be :

(a) to develop a residential centre of education of international importance on the line of the ancient/old Vihars (Where the teachers and the taught lived together devoting themselves to studies and higher academic pursuits) for the promotion of higher studies and research in Pali language and literature, and Buddhist studies throught Sanskrit, Tibetan, Chinese, Mongolian, Japanese and other Asian languages. In addition, contemporary Buddhism in various parts of the world may also be made subjects of studies and research.

(b) to set up and maintain departments of studies in (1) Pali and Buddhism, (2) Philosophy with special reference to Buddhist Philosophy (Both Hinayana and Mahayana), Logic and Epistimology including outlines of Indian Philosophy and comparative religion, (3) Ancient Indian and Asian Studies with a special reference to Buddhist History and Culture and spread of Buddhism, (4) Linguistics and Modern Languages, and (5) the Department of Tibetan and Chinese Studies including Mongolinan, Korean and Japanese languages, and (6) such other subjects as the "Society" may decide to introduce from time to time.

(c) to prescribe courses of studies for the subjects mentioned above :

(d) to admit graduates and oriental scholars of recognised universities and institutions and to train them in post graduate programmes of buddhist studies and research, based of Pali, Sanskrit, Tibtan, Chinese, and other languages and to make them acquainted with the profoundity and depth of ancient learning;

(e) to accommodate monks and lay scholars, versed in traditional monastic learning, and to acquaint them with modern methods of research and comparative studies;

(f) to send its scholars and professors to recognished centres of Buddhist learning in the world, specially to neighbouring Buddhist countries to acquire first hand knowledge of their traditions, and also to revive the old cultural ties existed between India and those countries;

(g) to invite eminent Buddhist scholars from different parts of the world for occasional visits as visiting proffessors to the society to deliver lectures on their special subjects;

(h) to hold examinations and to grant academic awards under Section 3 of the U.G.C. Act 1956 and distinctions or titles to persons and to confer honorary awards or other distinctions; and to prescribe standard of proficiency for the award of such diplomas Certificates and other distinctions.

(i) to award fellowships, scholarships, prizes and medals in accordance with the rules and bye-laws;

(j) to confer honorary degrees, awards, and other distinctions;

(k) to critically edit, translate and publish Buddhist works from Pali. Sanskrit, Tibetan, Chinese, Japanese, Mongolian and other languages;

(l) to compile and publish original and research works on different aspects of Buddhist and allied studies;

(m) to co-operate with similar Reserch Institutions in and outside India, in order to co-ordinate research work with them;

(n) to organise an up-to-date library of the Buddhist literature in Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese and other languages containing printed as well as manuscript materials, including former and recent publications of research works, and also of modern thought, in order to facilitate comprehensive and comparative studies;

(o) to estab'ish and maintain research and reference rooms and museum;

(p) to co-operative with educational and other institutions in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the Society by exchange of teachers, scholars and generally in such a manner as may be conductive to their common objects;

(q) to publish journals, periodicals and different aspects of Buddhism and

(r) to set up and maintain a publication and Sales Department of the publications of the Society;

(s) to subscribe to or become a member of, or to co-operate with any other Associations or Society, whose objects are Similar, wholly or partly, to the objects of the Society or the promotion of which may be conductive to the attainment of the objects of the Society;

(t) to get in itself integrated any other institutions, associations, body or society, whose objects are similar, wholly or partly, to the objects of the Society;

3. (ii) (a) to fix and demand such fees and other charges from the students/Research scholars, as may be laid down in the byelaws made under the Rules and Regulations of the Society;

(b) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of the students;

(c) to supervise and control the residence, to regulate the discipline and to make arrangements for promoting their health welfare and cultural and corporate life of the students;

3. (iii) (a) to draw and accept grants of money, securities or property of any kind of such terms as may be expenditure;

(b) to acquire by gift, purchase, exchange, lease hire or otherwise, howsoever, any property movable or immovable and to construct, maintain, alter. demolish and repair such buildings works, and constructions, as may be necessary for carrying out the objects of the Society;

(c) to sell, lease, exchange, hire, transfer or otherwise dispose off all or any portion of the property, movable or/and immovable of the Society on such terms and conditions as it may be decided by the Board of Management, provided that prior approval in writing of the State Government is obtained for the transfer or disposal of immovable property;

(d) to invest and deal with any moneys and securities of the Society not immediately required for any of its activities in such a manner as may be provided by the rules and regulations of the Society as may from time to time be determined;

(e) to draw, make accept, endose and discount cheques, notes or other negotiable instruments and Government drafts;

(f) to issue appeals for funds in furtherance of the objects of the Society and undertake management of any endowments, trusts, funds or donations not inconsistent with the objects of the Society;

(g) to create any Reserve Fund, Insurance Fund or any other Special Fund whether the depreciation or for repairs, improving, extending or maintaining any of the properties or rights of the Society and/or for recoupment of wasting assets deems it expedient or proper to create and maintain any such Fund or Funds;

(h) to take over from the State Government all the assets and liabilities of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda which was established by the Government of Bihar in August, 1951.

(i) to borrow and raise moneys with or without security or on the security of a mortage, charge, or hypothecation or pledge of all or any of the movable or immovable properties belong to the Society or in any other manner whatsover provided that prior approval in writing of the State Government is obtained in that behalf;

(j) to receive grants, subscriptions, donations for the purposes of the Society;

(k) to maintain a fund to be called the Nava Nalanda Mahavihara fund to which shall be credited —

(i) all moneys provided by the Central and State Governments;

(ii) All fees and other charges received by the Society;

(iii) all money received by the Society by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(iv) all moneys received by the Society in any other manner from any other source.

(l) to deposit all moneys credited to the fund in such manner as may be decided by the Board of Management of the Society and provided under the rules;

3. (iv) (a) to make Rules and Regulations and Bye-laws for the conduct of the affairs of the Society and to add to, amend, vary or rescind them from time to time with the approval of the Central Government.

(b) to constitute such committe or committees as the Society may deem fit;

(c) to delegate all or any of its power to any member or comsittee constituted by it;

(d) to enter into any agreement for and on behalf of the Society;

(e) to sue and decend all legal proceedings on behalf of the Society;

(f) to appoint, in order to execute, any instrument or transact any business of the Society, and person as attorney of the Society with such powers as it may deem fit;

(g) to do all such other acts and/or things either alone or in conjuction with other organisations or persons as the Society may consider necessary incidental or conducive to the attainment of the above said objectives;

4. the facilities or the Society and other programmes conducted by the Society shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed with regard to religious belief or profession in appointing members, students, teachers and workers;

5. The Society in consultation with the Central Govt. may Employ such members of the staff and other Employees who, immediately before the registration of the Society, were employed in the Nava Nalanda Mahavihara on shch terms and conditions as may be decided by the Society, provided always that their employment were in the interest of Society;

6. (a) On the registration of the Society, the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, and attached hostels, halls and other buildings, forming part of the Nava Nalanda Mahavihara, together with all lands appurtenant thereto and articles of furniture, library, stores, instruments, apparatus, appliances and equipments, shall be deemed to have been transferred to the maintenance and control of the Society;

(b) the buildings intended for the residence of officers and other servents of the Nava Nalanda Mahavihara, together with all other lands appurtenant thereto, including fixtures, electric and sanitary fittings and water connections, shall on the registration of the Society, also bt deemed to have been transferred to the maintenance and control of the Society;

(c) until arrangements are made by the Society, the Central Government shall be responsible for the upkeeping and maintenance of the aforesaid buildings, including all fixtures, fittings and connections in proper state of repairs.

7. The management of all affairs of the Society shall vest in the Board of Management.

8. The Governor of Bihar shall be ex-officio Chairman and Chancellor of the Society, and the Director of the Mahavihara will be the ex-officio member-Secretary of the Board of Management. Three persons shall be nominated by the Central Government as their representatives. Three eminent scholars in the subjects, viz. (i) Pali, (ii) Buddhist Sanskrit and literature, (iii) Buddhist Philosophy and (iv) Culture and History of Buddhism in India and abroad, shall be nominated as members of the Board of Management two by the Central Govt. in consultation with the Chancellor and the Secretary of the Board of management, Vice-Chancellor, Magadh University will also be an ex-officio member of the Board of Management.

9. Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Board of Management of the Mahavihara functioning as such immediately before registration of the Society, shall continue to so function and shall function as the Board of Management of the Society, until the Board of Management is constituted for the Society under the Rules and Regulations of the Society. But on the constitution of the Board of Manage under the rules, members of the Board of Management, holding office before such constitution, shall cease to hold office.

10. All property of the Society, movable and immovable, shall vest in the Board of Management.

11. The income and property of the Society, however derived, shall be applied towards the promotion of the objects as set forth in this Memorandum of Association, subject to conditions nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by the Central Government that the Central Government may from time to time impose. No portion of the income and property of the Society shall be paid or transferred directly or indirectly by way of profit to persons, who at any time, are or have been, members of the Society, or to any of them, or to any person claiming through them or any of them, provided that nothing herein shall prevent of the payment in good faith of remuneration to any member or other person in resurn for service rendered to the Society or for travelling allowance, halting allowance and other similar charges.

12. The Society shall be deemed to have been entrusted with the functions of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, established by the Government of Bihar in August, 1951, with effect from the 1981, after it is registered under the Societies, Registration Act, 1860.

13. A copy of the Rules and Regulations of the Society, certified as to be correct by three members of the Board of Management, is filed with the Inspector General of Registration, Government of Bihar, Patna, along with the Memorandum of Association.

14. We the several persons, whose names and addresses are given below, having associated ourselves, for the purposes described in this Memorandum of Assocation, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands, hereinto and form ourserves into a Society under the Socities' Registration Act (XXI of 1860) this ..... day of ....199 .....the .....day of.... .....190 ..... S.E.

Sl. No.	Name, Occuapation and address of members	Signature of members	Name Occupation and address of witness	Signature of witness
1.				
2.	Shri S. K. Mahapatra, Secretary, Deptt. of Culture,			
3.				
4.				
5.	Miss Sujata Chauhan, Financial Advistr, Ministry of Human Resource Development.			
6.	Smt. Komal Anand, Joint Secretary, Department of Culture			
7.				
8.	Smt. Achala Moulik, D. G., A. S. I.			
9.				
10.	Shri D. S. Nehra, Deputy Secretary, Department of Culture			

ANNEXURE-B

NAV NALANDA MAHAVIHARA SOCIETY, NALANDA

Rules and Regulations

1. SHORT TITLE :—

These Rules and Regulations may be called "Rules" and Regulations of the Nav Nalanda Mahavihara Nalanda, Society."

2. DEFINATIONS :—

In these Rules and Regulations, unless the cantext otherwise requires—

(i) the 'Society' means the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society;

(ii) "Chairman" means the Governor of Bihar, who will preside over the meetings of the Board of Management, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society;

(iii) "Chancellor" means the Governor of Bihar, the academic and administrative head of the Nav Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society;

(iv) the "Board of Munagement" means the body, which is constituted as such, under Rule 3, as the "Board of Management";

(v) the "Director" means the Director of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society;

(vi) The "Secretary" means the Director of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Society, who will function as Secretary to the "Board of Manage ment";

(vii) the "Officers and staff" of the Society mean every officer mentioned in Rule 5 and every officer and member of staff appointed by the Board of management for the Society;

(viii) Words importing the singular number also include the plural number and vice-versa words importing the masculine gender also include the femine gender and vice-versa.

(ix) 'Central Government' means the Government of India, and

(x) 'State Government' means the Government of Bihar.

3. MEMBERS OF THE SOCIETY

The Society shall consist of the following Members :—

Chairman

1. Governor of Bihar

Vice-Chairman

2. Secretary, Deptt. of Culture, Government of India.

Members

3. Secretary, Incharge Collegian Education, Deptt. of Higher Education, Govt. of Bihar.

4. Principal Accountant General, Bihar.

5. Vice-Chancellor, Mangadh University

6. Director General, Archaeological Survey of India.

7. Three Scholors of Buddhism nominated by Govt. of India

8. Financial Adviser, Deptt. of Culture, Govt. of India.

9. Joint Secretary, Deptt. of Culture Government of India Incharge of the Subject.

10. Director of Nava Nalanda Mahavihara

4. DURATION OF MEMBERSHIP :

The Non-official members of the Society nominated under item 4 to 6 of Rule 3 shall hold office for a period of three years, provided that a member on the expiry of his/her term of office, shall be eligible for re-nomination;

Members of the Society, other than ex-offico member shall cease to be such members if,

(a) they die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude;

(b) they do not attend three consecutive meeting of the Society without proper leave of the Chairman;

(c) resignation from membership of the Society shall be tendered to the Secretary, and shall not take effect untill it has been accepted on behalf of the Society by the Chairman.

(d) Any vacancy in the membership of the Society caused by any of the reasons mentioned above, shall be filled up by nonmination by the authorities entitled to make such nominations and the persons appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of the term of the membership.

(e) Government official nominated as representative of the Government shall be nominated for a term by designation; the term of office of such memeber shall continue so long he holds the office by virture of which he is member.

(f) The society shall function notwithstanding that any persons, who is entitled to be a member by reasons of his office, is not a member of the Society for the time being and (notwithstanding any other vacancy in its body, whether by the non-appointment or otherwise) and no act of the proceedings of the Society shall be invalidated merely by reasons of happening of the above events or of the above events or of any defect in the appointment of its members.

5. OFFICERS AND AUTHORITIES OF THE SOCIETY :

(a) Officers—The following shall be the officers of the society, namely :—

(i) Chancellor,

(ii) Chairman,

(iii) Director-cum-Secretary

(iv) Registrar

(v) any other person or persons as may be designed as such by the Board of Management.

(b) Authorities—The following shall be the authorities of the Society, namely—

(i) Board of Management, and

(ii) any other Standing Committee or Committees or Sub-Committees, which the Chairman, or the Board of Management may set up for discharging any one or more of their functions.

6. POWERS AND FUNCTIONS OF THE CHANCELLOR/CHAIRMAN :

(a) The Society may be a resolution delegated to the Chancellor/Chairman, such of its howers for the conduct of the business of the Society, as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Chancellor/Chairman, under the powers so delegated, shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

(b) The Chairman may delegate such of his powers as he may consider necessary to the Director and/or the Registerar.

(c) In any emergency, which in the opinion of the Chairman (when the Board of Management is not in session) requires that immediate action should he taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary. He shall report his action to the Board of Management at its next meeting.

(d) The Chairman will be entitled to take any action whatsoever in the interest of the Society in anticipation of the approval of the Board in due course.

(e) In the event of the post of the Director remaining vacant or/and in the long absence of the Director from the headquaters, for any reason, it shall be open to the Chairman to authorise any officer or officers in the service of the Society to exercise such powers, functions and duties of the Director as he may deem fit, subject to the report of the action taken, in the next meeting of the Board of Management.

7. POWERS AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR :

The Director shall be the principal academic and executive officer of the Society and shall be responsible for the proper administration of the Society and for the imparting of instructions and maintenance of the discipline therin. All other staff of the society shall be subordinate to him. It shall also be the duty of the Director—

(a) Subject to the Powers of the Board of Management, to be responsible for seeing that all moneys are spent on the purposes for which they are granted or alloted;

(b) to sign all contracts and assurances of property made on behalf of the society after the same have been approved by the Board of Management;

(c) to exercise such other powers as may be assigned to him by the Board of Management or its Chairman;

(d) The Director shall have the power to re-delegate some of his powers to any of his subordinates in anticipation of or with the approval of the Board of Management or the Chairman, as the case may be;

(e) the Director shall prescribe the duties of all officers and staff of the Society and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary.

(f) to prepare in such form and at such time every year as may be prescribed by rules, a Budget in repect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Society and shall forward to the Govt. of India such number of the copies thereof as may be prescribed by rules;

(g) to incur all expenditure subject to the provisions of the approved budget and the rules prescribed from time to time;

(h) to maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of Accounts and progress report in such forms as may be prescribed in the rules;

(i) to forward annually to the central Government the accounts of the Society as certified by a Chartered accounts or any person appointed by the Board of Management of the Society.

8. POWERS AND FUNCTIONS OF THE REGISTER :

The Registrar shall be appointed by the Board of Management; the registrar shall be the ex-officio Secretary of Finance committee or any other Sub-committee, which may be set up by the Chairman or the Board of Management but he shall not be deemed to be a Member of any of these authorities. It shall also be the duty of the Registrar :

(a) to be custodian of records, the funds of the society and such property of the society as the Board of Management may commit to his charge;

(b) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the society;

(c) to keep the minutes of all meetings of the authorities of the Society and of all committees appointed by the Chairman or the Board of Management;

(d) to maintain accounts of the Society;

(e) subject to the control of the Board of Management, to manage the property and investments of the Society, and be responsible for the preparation of the annual estimates and statement of accounts and for their presentation to the Board of Management;

(f) the receipt of the Registrar or the person duly authorised in this behalf by the Board of Management, for any money Paid into the Society shall be sufficie discharge for the same;

(g) the Registrar shall be directly responsible to the Director of the Society for the proper discharge of his duties and functions and

(h) the Registrar shall perform such other duties and exercise such other powers as may be assigned to him by the Board of Management or/and Chairman/Director.

9. BOARD OF MANAGEMENT :

The Board of Management of the Society for the purpose of the Societies Registration Act (XXI of 1860) shall on the date of registration of the Society, consist of the members, whose names are set out in Clause 14 of the Memorandum of Association and thereafter, as soon as the necessary appointments and nominations have taken place, shall consist of the following, namely :—

Chairman

(i) Governor of Bihar

Members

(ii) Secretary, Culture,
Govt. of India.

(iii) Director, Higher Education,
Govt. of Bihar.

(iv) Vice-Chancellor,
Magadh University,

(v) F.A. Deptt. of Culture
or his nominee
Government of India

(vi) A Reporesentative of the
Deptt. of Culture
Government of India

(vii) A representative of the
Ministry of External Affairs,
Government of India

(viii) Two eminent scholars nominated
by the Govt. of India

(ix) To be indicated

(x) Director of the Mahavihara

Ex-officio Secretary

10. POWERS AND FUNCTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT :

The Board of Management shall have the following powers and functions, namely :—

(a) the general superintendence, direction and control of the affairs of the society shall be vested in the Board of Management of the Society, which shall be the Governing Body of the Society;

(b) to nominate member (s) of any committee constituted by the Board;

(c) to approve the annual budget of the Society drawn up by the Director, subject to the financial limits, if there be any;

(d) to consider and approve programmes and specific projects proposed by the Director;

(e) to frame its regulations, bye-laws and rules of procedure;

(f) to approve annual report and accounts of the Society prepared by the Director;

(g) to authorise the Director to incur all expenditure subject to the provisions of the approved budget, the rules prescribed from time to time and policy directives of the Board of Management and/or Central Government.

(h) to nominate a person or persons to represent the Society in national and international conferences and organisations;

(i) To create teaching posts in the pay scale adopted by the U.G.C. and to make appointments thereto in accordance with the rules which may be prescribed from time to time, provided that posts carrying emoluments in excess of the pay scale of teachers, as determined by the U.G.C., shall be created and filled with the prior approval of the Central Government.

(j) to create administrative, Special, ministerial, technical and other posts and to make appointments thereto in accordance with the rules, provided that posts carring monthly emoluments in excess of Rs. 1,200/- shall be created and filled with the prior approval of the Central Government.

(k) to appoint teaching and other staff in vacancies in the existing posts subject to the provision contained in sub-clauses (i) and (j) above : to grant extension of services and promotion to the staff and to impose penalties on defaulting staff;

(l) to regulate the discipline of the members of staff and to supervise and control their residence and to make arrangements for promoting their health, general welfare cultural and corporate life;

(m) to exercise full administrative and disciplinary control over the staff, provided that for taking disciplinary action against servants of the Central Government whose services are at the disposal of the Society, prior approval of that Government of India shall be necessary;

(n) to appoint the Director of the Society in consulation with the Government of India, provided that the first director shall be appointed by the Central Government.

(o) the Board shall frame, in consultation with the Central Government, bye-laws, which may provide inter-alia for all or any of the following matters, viz :—

(i) the formation of departments of teaching;

(ii) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, prizes and medals;

(iii) to institute for the benefit of its officers, teachers, and other employees of the society, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the rules, facilities such as pension and/or provident fund Insurance etc. as the Society may deem fit.

(iv) the establishment and maintenance of halls and hostels and conditions of residence of students of the Society;

(p) subject to the provisions of these rules and regulation to do any and such other acts as may in its opinion be necessary for the proper management and maintenance of the organisation and performance of the functions of the Society.

11. PROCEEDINGS OF THE SOCIETY :

Meetings (a) The Chairman shall have the powers to convene meeting of the Board of Management at any time when he considers necessary in addition to statutory quarterly meetings :

(b) all meetings of the Board of Management shall be called by notice under the signature of the Secretary;

(c) all disputed questions at the meetings of the Board of Management will be as far as possible, determined by general consensues;

(d) in case of quality of votes, the Chairman shall have a casting vote;

(e) the Secretary shall keep records of the proceedings of the meetings;

(f) 4 members of the Board shall constitute a quorum at its any meeting, provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such other date, place and time as the Chairman may determine, and if at such a meetings a quorum is not present, within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be a quorum;

(g) every meeting of the Board of Management shall be presided over by the Chairman and in its absence, by a member chosen by the members present on the occasion;

(h) the Board of Management shall meet on a date, place and time fixed by the Chairman.

12. FUNDS OF THE SOCIETY :

There shall be established a fund to be called "The Nava Nalanda Mahavihara Fund", which shall be vested in the Society, to which shall be credited the balance, if any. Besides this, the funds of the Society will consist of the followings :—

(a) grants made by the Central Government for the furtherance of the objects of the Society. The Central Government shall contribute annually to the Society, towards expenses an annually to the Society, towards expenses an appropriated sum representing the average expenditure incurred during the last three consecutive years on the maintenance of the Society. The other recurring and non-recurring cost on the maintenance and development of the Society shall also be borne by the Central Government.

(b) contribution from other sources;

(c) income from the assets of the Society;

(d) receipts of the Society from other sources; and

(e) the Banker of the Society shall be the S.B.I., and any other Central Commercial Banks, Nalanda. All funds shall be paid into the Society's account with the S.B.I. Nalanda and shall not be withdrawn except through a cheque signed by the Director-Secretary or such other officer (s) as may be duly empowered in this behalf by the Chairman.

13. ACCOUNTS AND AUDIT :

(a) The Society shall prepare and maintain accounts and other relevant records and shall prepare annual statement of accounts including the balance sheet; Income and Expenditure Account in such form and manner as may be determined by the Board of Management;

(b) the accounts of the Society including balance sheet and Income and Expenditure Accounts shall be audited annually—such person or persons as may be received by the Board of Management and all cost and expenses incurred in connection shall be payable by the Society;

(c) the auditors shall have the right to demand the production of books, accounts vouchers and other connected papers;

(d) the result of the audit shall be communicated by the auditor to the Society, who shall forward a true copy of the audit report along with the certified accounts and observations, duly approved by the Board of Management to the Central Government.

(e) The C. & A.G. shall have the same rights, privileges accounts of the Society as the C & A.G. has in connection with the audit of Government accounts, and in particular, shall have the right to demand to production of books, accounts, connecting vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Society;

(f) The Society shall forward to the State Government the budget estimates duly approved by the Board of Management for every financial year by such date as may be fixed by the Central Government.

14. ANNUAL REPORT :

An Annual Report of the proceedings of the Society and of work undertaken during the year shall be prepared by the Director/Secretary for the information of the Central Govt. and all the members of the Board of Management. A draft of the Annual Report and yearly accounts of the Society shall be placed before the Board of Management in one of its meetings for its consideration and approval.

15. *Amendment of Rules* :

(a) Subject to the provisions of the Societies Registration Act (Act XXI of 1860), and in consultation with the Central Govt. the Society may alter, extend or abridge any purpose or purposes for which the Society is established.

(b) Subject to the provisions of the Societies Registration Act (Act XXI of 1860), and in consultation with the Central Govt. the Board of Management may alter the Rules and Regulations of the Society at any time by a resolution passed by a majority of three-fourth of members present and voting at any meeting of the Board of Management, which shall have been convened for the purpose after giving due notice of such resolution to the members of the Board of Management.

16. *Miscellaneous* :

(a) Any business which may be necessary for the Board of Management to perform when the Board is not in Session, be carried out by circulation among all its members, and any resolution so circulated and approved by a majority of the members in circulation, shall be effectual and binding as if such a resolution had been passed by a meeting of the Board of Management.

(b) The Board of Management shall have the power to make bye-laws for the regulations of the procedure of the meetings of the Board and of the several committees appointed in accordance with the rules above mentioned.

(c) The Board shall provide a seal, also provide its safe custody and the seal shall never be used except by the authority of the Board previously given and one member of the Board shall sign every instrument to which the seal is affixed and every such instrument shall be countersigned by the Director and/or by some other person appointed by the Board.

(d) No benefaction shall be accepted by the society, which in opinion, involves condition or obligation opposed to the spirit, objects and aims of the society;

(e) For the purpose of Section 6 of the Societies Registration Act, the person in whose name the Society may sue or be sued, shall be the Director of the Society;

(f) The members of the Board of Management and of any committee, appointed by the Board of Management, shall not be entitled to any remuneration from the Society, but non-official member of the Board of Management or of any committee appointed by the Board of Management will be re-imbursed by the Society, their travelling allowance and daily allowance in respect of the journeys undertaken to attend the meetings of the Board of Management or the committee(s) or in connection with the bush news of the Society as provided in the bye-laws or to be made in this behalf by the Board of Management, as the case may be.

(g) the leave, pensionary and other terms and conditions of the Central Government Employees who have been deputed to the Society, on exercising the option to remain in Government of India service, shall be financially settled with the State Government, in the manner agreeable to all concerned.

(h) If in winding up or dissolution of the Society, there shall remain after the liquidation of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be distributed among the members of the Society or any of them but shall be dealt with the manner provided by Sections 13 and 14 of Act XXI of 1860.

We the following members of the Board of Management certify that the above is a correct copy of the Rules and Regulations of the Society.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993